

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

976/13-14

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० 976

तारीख 13.8.13 से 23.8.13 तक

जिला पटना अनुमंडल - बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार बाढ़ -

- 1 अर्पित एवं वर्ष 9.13-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
13-8-13	<p>श्री/श्रीमति रमपती देवी</p> <p>पिता/प्रति 150 शक्ति राय प्राम</p> <p>थाना विला जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/कच्चीशानामा बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक 17-8-13 को उपस्थापित करे।</p> <p>जमीन का विवरण</p> <p>ग्राम/थाना नं० विला खाला नं० 85</p> <p>खेसरा 238</p> <p>रकबा 14.84395 A</p>	
19-8-13	<p>अंचल अधिकारी बाढ़</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विकी पत्र/दानपत्र/कस्त्रीसनामा
बैंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अमिलेख दिनांक १२-८-१३
को उपस्थापित करें।

१२/८/१३
अंचल अधिकारी
बाढ़

१२-८-१३ तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अमिलेख दिनांक १३-८-१३
को उपस्थापित करें।

१३/८/१३
अंचल अधिकारी
बाढ़

०२-८-१३ हत्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जॉय प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रमाणित नहीं करते हुए नामान्तरण की
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

१३/८/१३
अंचल अधिकारी
बाढ़